कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष : 07744–225059 (का), 226389 (नि.), ई–मेल dfo-rajnandgaon.cg@gov.com

ज्ञापन क्र./मा.चि./18/ 1804 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2018

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :– **Diversion of forest land for non- forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Widening and Upgradation of Chowki-Chilhati-Korchatola Road upto Maharashtra Border, area-5.577 ha. Reg(पंजीयन क्रमांक/FP/CG/ROAD/24863/2017)**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.स.अ.) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/एल. एम.–115–680/1884 दिनांक 12.06.2017

– ********* –

विषयांकित संदर्भित के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

01. आवेदनकर्ता परियोजना प्रबंधक, छ.ग.रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर (छ.ग) द्वारा राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र चौकी कक्ष क्रमांक 716 रकबा 0.968 हे.,कक्ष क्रमांक 720 रकबा 0.231 हे., कक्ष क्रमांक 731 रकबा 0.711 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 3.667 हे. कुल रकबा 5.577 हे. को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत चौकी–चिल्हाटी–कोरचाटोला महाराष्ट्र सीमा तक सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन किये जाने हेतु मांग की गई है।

02. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु रूपये 24000/– (रूपये चौबीस हजार) जमा कराये गये है।

03. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 है एवं वन site quality IV है ।

04. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। जो निम्नानुसार है :–

(i) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य **चौकी–चिल्हाटी–कोरचाटोला महाराष्ट्र सीमा तक सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन** किये जाने हेतु मांग की जा रही है, वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।

(ii) वर्तमान व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

05. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

06. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव का प्रमाण पत्र संलग्न है।

07. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 नियम 03 B का उल्लंघन नहीं किया गया है।

08. आवेदित क्षेत्र सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंदर किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) नहीं है। इस हेतु वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव का प्रमाण पत्र संलग्न है।

09. आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण एवं संरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में संरक्षित वन क्षेत्र (Protected Forest) है। वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव का प्रमाण. पत्र संलग्न है।

10. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 1.91 हे. वन भूमि की साईट क्वालिटी सघन वन एवं घनत्व 0.5 होने के कारण 8.03 लाख प्रति हे. की दर से एवं राजस्व वनक्षेत्र 3.667 हे. खुला वन क्षेत्र होने के कारण 6.26 लाख प्रति हे. की दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया गया है।

11. Land Reclamation/Catchment area Treatment/fire protection/Safety Zone/Resettlement plan अन्य मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदन कर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

12. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति लागू नहीं होती है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों के औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :–प्रस्ताव 05 प्रतियों में।

वन संरक्षक एवं प्रभारी वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

पृ.क्र./मा.चि./18/1805 राजनांदगांव, दिनांक 08/02/2018

<u>प्रतिलिपि</u> :–

आवेदनकर्ता परियोजना प्रबंधक, छ.ग.रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर (छ.ग) की ओर सूचनार्थ एवं प्रेषित।

वन संरक्षक एवं प्रभारी वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव